

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1997

का०आ० 2948.—केन्द्रीय सरकार, नियति (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु केसिस के (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) से संबंधित नियम, 1994 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2284 तारीख 24 अगस्त 1994 को अधिन्यात करते हुए सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिनियम से पूर्व की गयी हैं या जिनका लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

I संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु केसिस का नियति (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1997 होगा।
- (2) ये राष्ट्रपति में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

भाग-I

यूरोपियन समुदाय (ईयू) तथा अन्य देशों को निर्यात के मामले में लागू, जो यह मांग करते हैं कि पशु केसिस को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

2. परिभाषा :

इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(क) "अधिनियम" से नियति (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई भी निर्यात निरीक्षण अधिकरण या भारत सरकार के कृषि, विपणन, सलाहकार या उनकी ओर से इस संबंध में निरीक्षण के प्राधिकृत कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) "पशु" से निर्धारित क्षेत्रों में से किसी भी प्रकार का पशुधन अभिप्रेत है, अर्थात्—

1. पशु
2. भैंस
3. भेड़
4. बकरी तथा
5. सूअर

(घ) "पशु केसिंस" से प्राधिकृत वधशाला में वध किए गए स्वस्थ पशु की प्रसंस्कृत अंतर्द्विया अभिप्रेत हैं जिनको केसिंस भी कहा जा सकता है।

(ङ) "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(च) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है।

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त भारत सरकार के प्राचीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय प्राचीण विकास विभाग का विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमवाई) अभिप्रेत है।

(ज) "अंतर्द्वियों" से पशु की छोटी तथा बड़ी अंठों या त्रिसिका या शासनली या श्वास नली या पेशाब की थैली अभिप्रेत है।

(झ) "प्रसंस्कृत अंतर्द्वियों" से पशु को साफ की हुई, खुरची हुई तथा 30 दिनों तक सोडियम क्लोराइड नमक में लगाई गयी या विरजित की हुई या खुरचने के बाद सुखाई गयी अंतर्द्विया अभिप्रेत है।

(ण) "वध करने" से किसी प्राधिकृत वधशाला या बूचड़खाने में खाने के लिए पशु को मारना अभिप्रेत है जिसमें ऐसा मानवीय तरीका अपनाया जाता है जो कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 54) के उपबंधों के अनुसार ही जहाँ पशु की मृत पूर्व तथा मृत-पश्चात् जांच की जाती है।

(त) "वधशाला या बूचड़खाने" से ऐसे कोई परिसर अभिप्रेत हैं जो मानव खपत के लिए पशुओं का वध करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो।

3 अनुपालन का आधार :

निर्यात के लिए आश्रित पशु केसिंस की जांच यह देखने के उद्देश्य से की जाएगी कि उसका प्रसंस्करण पैकिंग तथा संरक्षण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एम् एपीडा द्वारा तंत्रीकृत संघर्षों में किया गया है तथा उत्पाद अधिनियम

की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक वित्तिद्वियों के अनुरूप है और परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अभिकरण द्वारा प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर इसकी जांच की गयी है।

4. निर्यात के लिए पशु केसिंस निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा।

4.1 उपाबंध-I के अनुसार केसिंस को इकट्ठा करने तथा परिवहन की आवश्यकताओं को निश्चित रूप से पालन करता होगा।

4.2 उपाबंध-II के अनुसार उन्हें प्रसंस्करण तय्यत की आवश्यकताओं को निश्चित रूप से पूरा करता होगा।

5. उपाबंध-III और IV के अनुसार उन्हें कमगः पशु केसिंस प्रसंस्करण संयंत्र के रजिस्ट्रीकरण तथा पशु केसिंस के प्रमाणन की प्रक्रिया का पालन करना ही होगा।

6. पशु का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना :

आवेदन प्राप्त होने पर, अभिकरण उपरोक्त विधिष्ठ किए गए निरीक्षण के आधार पर अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि पशु केसिंस का परेषण के प्रसंस्करण और पैकिंग इस पर लागू विनिर्देश के अनुसार की गयी है। अनुसूची VII में दिए गए प्रका में पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। उक्त पर्यवेक्षण, निरीक्षण और इन नियमों का पालन सुनिश्चित करता अभिकरण के लिए वैध होगा।

जहाँ अभिकरण का समाधान नहीं होता है वहाँ वह पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने से इकार कर देगा। परेषण की जांच के ठीक पश्चात् ऐसे इकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातक को तुरन्त भेज दी जाएगी।

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के सूखे केसिंस के मामले में नब्बे दिनों की अधिकतम अवधि के लिए यह नमक लगाए हुए पशु केसिंस के मामले में पैंतालीस दिनों के लिए या उस अवधि के लिए आयातक द्वारा विहित की जाए जो भी कम हो वैध होगा।

अदि उस परेषण का पोट लदान प्रमाणपत्र की विधि-मान्यता अवधि के भीतर नहीं होता है तो निर्यातकर्ता को पुनः विधि मान्यकरण हेतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में विधि मान्यता अवधि पशु के सूखे केसिंस के मामले में पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए या पशु के नमक लगाए गए केसिंस के मामले में पन्द्रह दिनों के लिए या आयातकर्ता द्वारा विहित अन्तिम पोट लदान की तारीख तक के लिए बढ़ाई जाएगी।

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति 500-रु० के भुगतान पर और यह घोषणा करने पर जारी की जाएगी कि प्रमाण पत्र खो गया था या फट गया था और यदि मूल प्रमाण पत्र मिटा जाता है तो उसे लौटा दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति की विधिमान्यता वैसी ही होगी जो कि मूल पत्र की होती है।

8. निरीक्षण फीस :

निरीक्षण फीस प्रति दस हेंक के लिए 2.00 रुपए होगी जो कि स्थानीय निरीक्षण के मामलों में प्रति परेषण अधिकतम 500/- रुपए तथा स्टेशन के बाहर के निरीक्षण के मामलों में 1,000/- रुपए होगी तथा उसकी बसूली सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रसंस्करणकर्ता और/या निर्यातकर्ता से की जाएगी ।

टिप्पण : निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्येक परेषण के लिए संदेय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग सम्मिलित है, तब वहां ऐसा भाग पचास पैसे या ज्यादा है वहां तब उसे एक रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और यदि वह भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

भाग-II

पशु केसिगस के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के संबंध में सभी देशों को किए जाने वाले निर्यात पर लागू ।

2. परिभाषा :

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नांकित परिभाषाएं लागू होंगी -

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ।

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई भी निर्यात निरीक्षण अधिकरण या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनकी ओर से इस संबंध में निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ग) "पशु" से निम्नांकित में से किसी भी प्रकार का पशुधन अभिप्रेत है, अर्थात् :—

1. पशु
2. भैंस
3. भेड़
4. बकरी तथा
5. सूअर

(घ) "एनीमल केसिगस" से प्राधिकृत वधशाला में वध किए गए स्वस्थ पशु की प्रसंस्कृत अंतडियां अभिप्रेत हैं जिनको कि "केसिगस" भी कहा जा सकता है ।

(ङ) "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985

के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

(च) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ।

(छ) "अंतडियों" से पशु की छोटी तथा बड़ी आंतें या क्रेसिका या आतनली या स्वास नली या पेशाब की थैली अभिप्रेत है ।

(ज) "प्रसंस्कृत अंतडियां" से पशु की साफ की हुई, खुरची हुई तथा 30 दिनों तक सोडियम क्लोराइड नमक में ढगाई गयी या विरजित की हुई या खुरचने के बाद सुखाई गयी अंतडियां अभिप्रेत हैं ।

(झ) "वध" करने से किसी प्राधिकृत वधशाला या बूचड़खाने में खाने के लिए पशु को मारना अभिप्रेत है जिसमें ऐसा मानवीय तरीका अपनाया जाता है जो कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 54) के उपबंधों के अनुसार हो जहां पशु की मृत-पूर्व तथा मृत-पश्चात् जांच की जाती है ।

(ण) "वधशाला या बूचड़खाने" से ऐसी कोई परिसर अभिप्रेत है जो मानव खपत के लिए पशुओं का वध करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो ।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिए आशयित पशु केसिगस की जांच यह देखने के उद्देश्य से की जाएगी कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भंडारण अधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संयंत्रों में किया गया है तथा उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकरण द्वारा प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर इसकी जांच की गयी है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :

1. ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो पशुओं की केसिगस का निर्यात करना चाहता है, निकटतम अधिकरण को या अधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्यात किए जाने वाले परेषण का विस्तृत विवरण देना होगा ।

2. उपनियम (1) के अधीन आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा :

(क) जहां अधिकरण का कार्यालय है, उसी जगह पर स्थित परिसर में किए जाने वाले निरीक्षण के मामले में कम से कम दो दिन पहले, और

(ख) जहाँ अभिकरण का कार्यालय, यदि उस जगह से भिन्न अन्यत्र किसी परिसर में निरीक्षण किया जाना है तो आवेदन कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत करना होगा।

3. उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् वह अभिकरण निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस निम्नित समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पशु की केसिम्स के परेषण का निरीक्षण करेगा, जिससे कि नियम 3 के अनुसार परेषण के श्रेणीकरण और पैकिंग के बारे में उसका समाधान हो सके। अभिकरण ऐसा निरीक्षण कर सके इसके लिए निर्यातकर्ता उसे सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

4. यदि जांच के पश्चात् अभिकरण का इस बात से समाधान हो गया कि निर्यात किए जाने वाले पशु की केसिम्स का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का पालन करता है, तो अभिकरण परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए, प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5. यदि अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकार किए जाने की सूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को भेज देगा।

6. प्रमाणन के पश्चात्, अभिकरण को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी स्थान पर भंडारण, अभिवहन या वास्तविक लदान के पहले पोत पर परेषण की द्वालिटी का पुनः आकलन कर सकता है।

7. यदि इनमें से किसी भी अवस्था में, परेषण मानक विनिर्देशों के अनुष्य नहीं पाई जाती है तो उस स्थिति में प्रारम्भ में जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और विषणन :

1. ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो निर्यात के लिए पशुओं की केसिम्स को पैक करने का आशय रखता है, वह पैकिंग मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार करेगा।

2. पैकेजों पर निम्नलिखित सूचना स्टैसिल/मुद्रित की जाएगी :

- (क) निर्यातकर्ता का नाम और पता,
- (ख) मद् का नाम और उसकी किस्म,
- (ग) श्रेणी
- (घ) लॉट नम्बर और पैकिंग की तारीख
- (ङ) सकल वजन तथा शुद्ध वजन,
- (च) भारत का उत्पाद
- (छ) पोत-लदान संबंधी चिह्नंकन

6. निरीक्षण का स्थान :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर में, जहाँ निरीक्षण के लिए दस्तुए प्रस्तुत की जाती हैं, वहाँ किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वहाँ जांच के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों।

7. निरीक्षण की फीस.

प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता द्वारा परेषणवार निरीक्षण के लिए संदेय निरीक्षण फीस, परेषण के एक०ओ०वी० मूल्य के 0.4% की दर से होगी।

टिप्पण: निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्येक परेषण के लिए संदेय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रूपे तक पूर्णिकृत की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए वहाँ ऐसी रकम में रूपे का एक भाग सम्मिलित है, तब वहाँ ऐसा भाग पचास पैसे या ज्यादा है वहाँ तब उसे एक रुपया तक पूर्णिकृत किया जाएगा और यदि वह भाग पचास पैसे कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील :

1. ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो इन नियमों के भाग-1 या भाग-2 में यथा विहित निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के अभिकरण के इंकार किए जाने से व्यथित हो, वह ऐसे इंकार किए जाने के दस दिन के भीतर उक्त अभिकरण को अपील कर सकेगा जो उसे ऐसे विशेषज्ञों के एक पैनल के पास निर्देशित करेगा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्ती से अन्यून किन्तु सात व्यक्तियों से अनधिक सदस्य होंगे।

2. विशेषज्ञों के पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

3. पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

4. अपील का निपटान उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

उपाबंध-1

1. संग्रहण और परिवहन :

1.1 अतों बूचड़खाने में काटे गए स्वस्थ पशुओं से ही निकाली जानी चाहिए।

1.2 बूचड़खाने से "केसिम्स" प्रसंस्करण सयल तक अतों का परिवहन पर्याप्त स्नास्थ्यकर दशाओं में किया जाना चाहिए जिससे कि अंतर्द्वेषों के संक्रमण तथा संदूषण से बचा जा सके।

1.3 अतों की सफाई पशु को काटने के तत्प्राव बाद की जानी चाहिए।

1.4 अतों के संग्रहण, परिवहन तथा प्रसंस्करण के बीच होने वाले कालम्य को न्यूनतम किया जाना चाहिए ताकि अच्छी द्वालिटी के केसिम्स का निर्माण किया जा सके।

1.5 आंतों को क्षिप्त से, जहां तक संभव हो, बचाया जाना चाहिए।

उपाबंध-2

1. पशु केसिस प्रसंस्करण संयंत्र की अपेक्षाएं:

1.1 प्रसंस्करण कक्ष:

पशु केसिस के प्रसंस्करण के लिए कक्षों में निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिए।

1.1.1 केसिस प्रसंस्करण संयंत्रों के परिसर साफ-सुथरे दिखाई देने चाहिए और उनमें दुर्गन्ध नहीं आनी चाहिए।

1.1.2 कच्चे माल की उठाई-धराई तथा प्रसंस्करण से संबंधित कक्ष, तैयार सामग्री की उठाई-धराई तथा भंडारण कक्षों से अलग होने चाहिए।

1.1.3 केसिस प्रसंस्करण कक्षों में आपरेशन सुविधा-जसक तथा सरलतापूर्वक करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

1.1.4 फर्श अम्ल तथा फिसलन-रहित होना चाहिए और इसे प्रतिदिन रोगाणुनाशक दवाओं से धोया जाना चाहिए। फर्श को पर्याप्त दलान वाला होना चाहिए ताकि श्रिल लगे निकासी मार्ग से तरल पदार्थों को निकास जा सके।

1.1.5 दीवारें 1.5 मीटर की ऊंचाई तक सफेद प्लेज्ड सेरामिक टाइलों अथवा हल्के रंगों की परतों अथवा अच्छे पैन्ट वाली होनी चाहिए ताकि उन्हें गरम पानी और रोगाणुनाशकों से धोया जा सके।

1.1.6 छत हल्के रंग तथा पर्याप्त परतों वाली होनी चाहिए जो खराब न हों।

1.1.7 हवा का आवागमन भली प्रकार से हो।

1.1.8 पर्याप्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रोशनी हो जिससे रंगों पर प्रभाव न पड़े।

1.1.9 परिसरों में सफाई होनी चाहिए तथा ड्रेनेज और प्लंबिंग व्यवस्था कुशल और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जल आपूर्ति पूर्ण तथा स्वच्छ होनी चाहिए।

1.1.10 उन कमरों में, जहां केसिस का प्रसंस्करण किया जाए, मिट्टी आदि नहीं होनी चाहिए। केसिस संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के हाथों की सफाई तथा बर्तनों की सफाई करने के लिए परिसरों में सभी सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए।

1.1.11 अपशिष्ट/स्क्रैप को वायुमंडल हकनत वाले इस्टबिन में रखा जाना चाहिए जिसे आसानी से साफ और दूषणरहित किया जा सके।

1.1.12 इसमें कुत्तों, बिलियों, कुत्तों, कीटों, मक्खियों, कौबों, चिसगादड़ों तथा मित्तों का प्रवेश नजित

होना चाहिए। जहर अथवा जहरीले चारों की उन स्थानों पर मनाही होनी चाहिए जहां प्रसंस्करण किया जाए अथवा कोई पैक की गयी सामग्री स्टोर की जाए, और

1.1.13 प्रत्येक दिन की समाप्ति पर पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

2. उपस्कर:

2.1 औजारों को साफ करने के लिए यूनिट में पर्याप्त जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2.2 कीटों जैसे कीड़ों और कुत्तों के विरुद्ध संरक्षण के लिए उचित उपकरण होने चाहिए।

2.3 उपकरण तथा ठीक उपस्कर जैसे सोटिंग टेबल्स, केसिस, कटेनर्स, कनेयर्स अथवा बैट्स तथा चाकू इस प्रकार की सामग्री के होने चाहिए जिसकी आसानी से सफाई की जा सके।

2.4 कटेनरों को स्टोर करने के लिए उपकरणों को बहुत अच्छी स्वस्थकर दशाओं में रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कटेनरों में तल अथवा दीवारों पर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए।

2.5 केसिस को उतारते और चढ़ाते समय केसिस को स्वच्छतापूर्वक उठाने-धरने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

2.6 बहते पानी की पर्याप्त पूर्ति के साथ वाश बेसिन की व्यवस्था होनी चाहिए; और

2.7 केसिस के प्रसंस्करण/विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों और औजारों को, यदि वे संदूषित हों, प्रत्येक कार्य विवस में उनका इस्तेमाल करने से पहले तथा कार्य समाप्त होने के पश्चात् कई बार सावधानी पूर्वक साफ किया जाना चाहिए। तथापि सतत उत्पादन मशीनों की सफाई तभी की जानी चाहिए जब काम समाप्त हो जाए अथवा जब संदूषण होने की संभावना हो।

3. स्टाफ:

3.1 स्टाफ से अधिक से अधिक स्वच्छता की अपेक्षा की जाती है। इस अस्वच्छ पद्धतियों को दूर किया जाना चाहिए।

3.2 जहां पशुओं की केसिस का कार्य चल रहा हो उन कमरों में आने वाले सभी व्यक्तियों को साफ, हल्के रंग के और आसानी से धुलने वाले कपड़े तथा टोपियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पशुओं की केसिस के प्रसंस्करण के कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रतिदिन अनेक बार, अर्थात् जब भी वे कार्य कार्य में लगे, अपने हाथ धोने चाहिए।

3.3 कार्य कक्षों तथा भंडार कक्षों में खाना, पीना तथा धूम्रपान करना निषेध होना चाहिए।

3.4 जो व्यक्ति बीमार हों अथवा जिनके हाथ कटे-फटे और खुले हों जिनसे केसिमस के संदूषित होने की संभावना हो, उन्हें कार्य अथवा उठाने-घराने पर नहीं लगाया जाना चाहिए, और

3.5 पशुओं की केसिमस के प्रसंस्करण में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्यभार सभालते समय एक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाणपत्र का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करना होगा। यह प्रमाणपत्र निरीक्षण अधिकारी को, जब भी मांगा जाए, प्रस्तुत करना होगा।

4. सामान्य :

4.1 कमरों, उपकरणों तथा औजारों का इस्तेमाल केवल केसिमस तैयार करने के लिए ही होना चाहिए और यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो तो इन्हें श्रच्छी तरह साफ करने के बाद और पशु केसिमस को पुनः प्रसंस्कृत करने से पहले, 24 घंटे का अंतर होगा चाहिए।

4.2 फर्श की सफाई के अलावा अन्य सभी प्रयोजनों के लिए पेयजल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

4.3 घोंघे के पाउडर, कीटनाशकों तथा नाशक जीव-मारों के प्रयोग से केसिमस की स्वास्थ्यप्रवृत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

4.4 सभी कामगारों के लाभ के लिए प्राथमिक सहायता का सावान उपलब्ध होना चाहिए।

4.5 लपेटने और पैकिंग करने का कार्य सतोषजनक सफाई वाली दशाओं में ही किया जाना चाहिए।

4.6 केसिमस को इन स्थितियों में स्टोर किया जाना चाहिए जिनसे केसिमस की क्वालिटी प्रभावित न हो।

4.6.1 भेड़ की केसिमस के मामले में इन्हें पर्याप्त रूप से नमक लगाकर उचित हासत में रखा जाना चाहिए। यदि अधिक समय तक (10 दिन से अधिक) स्टोर करने की आवश्यकता पड़े तो इन्हें प्रशीतित स्थानों पर रखा जाना चाहिए।

4.6.2 पशुओं की केसिमस के मामले में, सफाई और प्रसंस्करण के बाद केसिमस को स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में, धूप में या ताप प्रक्रिया से सूखा जाना चाहिए। पशुओं की सूखी हुई केसिमस को साफ सूखी तथा नमी रोकक स्थितियों में स्टोर किया जाना चाहिए। स्टोरेज के लिए काली मिर्च जैसे परिरक्षकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तथा

4.7 जिन पद्धतियों से केसिमस का संदूषण होता हो उनसे बचा जाना चाहिए।

उपाबंध-3

पशु केसिमस प्रसंस्करण संयंत्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रति प्रति

1.1 ऐसे नियंत्रकताओं को जो यूरोपीय समुदाय तथा अन्य देशों को जहां निर्यात के लिए रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणन की आवश्यकता होती है, पशुओं की केसिमस का निर्यात करना चाहता है, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार एपीडा के साथ संयंत्र को रजिस्ट्रीकृत करना चाहिए।

2. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :

2.1 आवेदन, अनुसूची-1 में यथा अधिकथित प्रोफार्म में, एपीडा के अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक प्रति एपीडा के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

2.2 आवेदन के साथ, अनुसूची-2 में यथा अधिकथित पशु केसिमस संग्रह डाटा दिया जाना चाहिए।

2.3 सम्पूक्त: पूर्ण आवेदन नई दिल्ली स्थित एपीडा के मुख्यालय अथवा अनुसूची-3 में दिए गए पतों में से किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में दिए जाएं जो इसे मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

2.4 आवेदन के साथ अनुसूची-4 में अधिकथित प्रोफार्म में यह घोषणा दी जानी चाहिए कि निर्निर्माता/नियंत्रकता ने पशु केसिमस संयंत्र की स्वच्छता तथा अन्य आवश्यकताओं का पालन किया है।

2.5 आवेदन के साथ एपीडा के नाम 5001 रु० का मांगेय ड्राफ्ट दिया जाना चाहिए जो दस्तावेज प्रसंस्करण तथा निरीक्षण प्रभारों के रूप में होगा।

2.6 आवेदन के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज सलभन किए जाने चाहिए :

- (क) परिसर का ले आउट।
- (ख) परिसर में मशीनरी तथा उपकरण की सूची।
- (ग) दस्तावेजों साक्ष्य क साक्ष स्वामियों/भागीदारों/निर्देशकों/न्यासियों आदि के नाम और पते।
- (घ) पशुओं की केसिमस के लिए प्रसंस्करण एकक चलाने हेतु स्थानीय नगरपालिका से अनुमति।
- (ङ) यदि प्रसंस्करण एकक लीज आधार पर चल रही हो तो लीज करार की एक प्रति।
- (च) वित्तीय प्रस्थानों/बैंकों द्वारा जारी गोपनीय रिपोर्टें जिनमें निर्निर्माताओं/नियंत्रकताओं की वित्तीय स्थिति की दर्शाया गया हो।
- (छ) पशुओं की केसिमस के प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु पेयजल की प्राप्ति के संबंध में सरकारी प्रयोगशाला से प्रमाणपत्र।
- (ज) प्रसंस्करण संबंधी कार्य में लगे कामियों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।

3. संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

3.1 आवेदन की प्रारंभिक समीक्षा एपीडा द्वारा की जाएगी तथा आवेदन के ठीक पाए जाने की दिशा में, एपीडा द्वारा निरीक्षण समिति के अध्यक्ष सदस्य को आवेदन की प्रति प्रेषित करेगा।

3.2 रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रदर्शन सदस्य का मौखिक निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति का गठन एपीडा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

3.2.1 प्रमुपालन तथा दुग्ध उत्पादन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।

3.2.2 राज्य सरकार के प्रमुपालन विभाग का एक प्रतिनिधि।

3.2.3 आवेदन इस प्रयोजन के लिए सम्युक्त, प्राधिकृत स्वामी/भागीदार/निर्देशक/अवलोकन न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा आवेदन के साथ अर्थास्थिति, दस्तावेजों साक्ष्य/सुस्तारनामा/संकेत की प्रति, लगायी चाहिए।

3.2.3 निवृत्ति निरीक्षण परिवार/अधिकरण का एक प्रतिनिधि।

3.2.4 विपणन और निरीक्षण निदेशालय का एक प्रतिनिधि।

3.2.5 पशु क्षेत्र के नवतकरीबों का एक प्रतिनिधि।

3.2.6 पशु की क्षेत्र के निवृत्तिकर्ता संघ का एक प्रतिनिधि।

3.2.7 एपीडा का एक प्रतिनिधि जो समिति का संयोजक होगा।

3.3. समिति के तीन सदस्यों के निरीक्षण के लिए तय गणपूर्ति होगी। यदि, किसी कारण से गणपूर्ति नहीं होती है तो निरीक्षण बाद में किसी तारीख को होगा जिसकी सूचना प्रसंस्करणकर्ता और/या निवृत्तिकर्ता को दे दी जाएगी।

3.4 एपीडा सामान्य रूप से प्रसंस्करणकर्ता और/या निवृत्तिकर्ता को जांच के लिए निरीक्षण की तारीख से एक सप्ताह पहले सूचित करेगा।

4. संयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना :

4.1 यदि समिति का समाधान हो जाता है कि पशु क्षेत्र संयुक्त मानकों के अनुरूप है और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सिफारिश करती है तब प्रमाणपत्र अनुसूची-V में अधिकृत प्रोपार्ती में एपीडा द्वारा जारी किया जाएगा इस प्रमाणपत्र पर एपीडा द्वारा अर्थादित रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी।

4.2 प्रमाणपत्र को प्रसंस्करण क्षेत्र में आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

4.3 प्रसंस्करण क्षेत्र के ले आउट डिजाइन अथवा अक्षमता में किसी भी परिवर्तन को 80 दिन के भीतर एपीडा द्वारा अर्थादित करना होगा।

4.4 संयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुसूचित उत्पाद के नियंत्रण के रूप में एपीडा के साथ उनके रजिस्ट्रीकरण के अतिरिक्त होगा। एपीडा अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार। संयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को विधिमान्यता की तारीख प्रमाणपत्र पर उल्लिखित की जाएगी। यदि किसी विशेष तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो तो प्रमाणपत्र को, जिस वर्ष में वह जारी किया गया हो उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य माना जाएगा।

4.5 प्रमाणपत्र के नवीकरण के प्रयोजन हेतु पशु क्षेत्र संयुक्त का समिति द्वारा पुनः निरीक्षण किया जाएगा। यह पुनः निरीक्षण, प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि के समाप्ति होने से पूर्व किया जाएगा।

4.6 यदि पशु क्षेत्र का प्रसंस्करण पशु पर लिए गए संयुक्त में किया जाता है तो निवृत्तिकर्ता निवृत्तिकर्ता को प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो संयुक्त का पट्टाधारी हो सकता है न कि उसका स्वामी यदि पशु करार प्रमाणपत्र के समाप्त होने से पूर्व समाप्त हो जाता है तब प्रमाणपत्र की विधिमान्यता यदि पट्टाकरार की अवधि नहीं बढ़ाई जाए तो पशु करार के समाप्त होने की तारीख तक सीमित होगी।

4.7 निवृत्तिकर्ता/निवृत्तिकर्ता को एपीडा द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का भी पालन करना होगा।

5. प्रमाणपत्र को इन्कार करना/रद्द करना।

5.1 खंड 4 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र से इन्कार किया जा सकता है, या उसे रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है वस्तुतः यह तब जब कि पशु क्षेत्र संयुक्त इस नियमों के अधीन अधिकृत मानकों के अनुरूप नहीं है व किसी भी स्वामी/निर्देशक/भागीदार न्यासी के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों/बैंकों या आयातकर्तियों अथवा आयात करने वाले देशों की ओर से कोई प्रतिबन्ध रिपोर्ट हो। परिस्थिति में प्रयोजन की कमी हो। वहाए जाने वाले पदार्थों के लिए संतोषजनक प्रमाण नहीं हो। स्वामीय निकाय से विधिमान्य अनुज्ञापित अथवा यदि समिति यह महसूस करती है कि संयुक्त ऐसी जगह पर अवस्थित है जहां निवृत्तिकर्ता के लिए हानिकार होगा।

5.2 यथा स्थिति, प्रमाणपत्र से इन्कार कि जाने, उनको रद्द या निलंबित किए जाने की निवृत्तिकर्तियों को कारण बताते हुए लिखित में सूचना दी जाएगी।

5.3 व्यक्ति कोई निवृत्तिकर्ता यह समाधान करने पर कि समिति द्वारा बताई गई कमियों को ठीक कर दिया गया है, अपने संयुक्त के रजिस्ट्रीकरण हेतु एपीडा के अध्यक्ष को एक अन्य आवेदन दे सकता है। संयुक्त का पुनः निरीक्षण उपरोक्त धारा 5 के संघ में किया जाएगा।

उपबन्ध-IV

1. पशु केसिस के प्रमाणीकरण की क्रियाविधि :

पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु पशु की जाति, वीकिंग का स्वरूप, पैकेजों की संख्या, शुद्ध वजन, केसिस की सफाई आदि की जांच करने के लिए पशु केसिस का निरीक्षण किया जाएगा।

2. निरीक्षण का स्थान :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए पशु केसिस का निरीक्षण एपीडा द्वारा रजिस्ट्रीकृत परिसरों में किया जाएगा।

3. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन :

ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो पशु केसिस का निर्यात करना चाहता है, निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित परेषण की विशिष्टता का ब्योरा देते हुए पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन अनुसूची VI में यथा अधिकथित विहित प्रोफार्मा में अभिकरण के निकटतम कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

4. निरीक्षण के लिए समय-सीमा :

4.1 स्थानीय तथा बाहर के निरीक्षण के लिए पशु केसिस के निरीक्षण हेतु क्रमशः दो और तीन कार्य दिवस की अग्रिम स्पष्ट सूचना अभिकरण को भेजी जाती आवश्यक है।

4.2 यद्यपि सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र निरीक्षण शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे किन्तु इसके लिए कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। केवल अनुरोधों पर आवेदनों के प्राप्त होने के बाद कालानुक्रम में ही विचार किया जा सकता है। तथापि, विशेष मामलों में, निरीक्षण अधिकारी अल्प सूचना पर भी निरीक्षण कर सकता है परन्तु यह तब जब कि वह किसी अन्य कार्य में व्यस्त न हो।

[फा सं. 6/1/96 ई. थाई. एंड ई. पी.]

प्रभु दास, निदेशक

अनुसूची I

पशु प्रसंस्करण संयंत्र के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-प्रपत्र

1. आवेदक का नाम और पता
2. एपीडा का रजिस्ट्रीकरण सह सदस्यता संख्या
3. प्रसंस्करण संयंत्र का पता
4. कारखाना अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख, यदि कोई हो
5. भवन (प्रसंस्करण संयंत्र) के स्वामी का नाम और पता यदि वह/नि आवेदक से भिन्न हों।
6. पट्टा करार समाप्ति की तारीख, यदि लागू हो
7. वित्तीय संस्थानों/बैंकों का नाम व पता, जिन्होंने संयंत्र को वित्तपोषित किया।

2987 Commerce/97—2

8. बैंक ड्राफ्ट/चेक का विवरण।

स्थान :

तारीख :

आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सत्यापन

मैं..... यह घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचना पूर्ण और सही है और मैं इस निमित्त निर्धारित की गई शर्तों और मानदण्डों का अनुपालन करने की सहमति देता हूँ।

तारीख : आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

अनुसूची-II

पशु केसिस संयंत्रों से संबंधित आंकड़े

1. प्रसंस्करण संयंत्र का नाम
2. पत्ता
3. बाह्य निरीक्षण
 - (1) परिवेश (स्वच्छ/अस्वच्छ)
 - (2) क्या यह मछली डिब्बा बंदी, चर्मशोधक, रसायन संयंत्र रसायन संयंत्रों जैसे धूनाजनक उद्योगों के पास स्थित है जहां से हाईप्रोड्यूस सल्फाइड आदि निकालता है।
 - (3) क्या इस संयंत्र का उपयोग पशु केसिस के अलावा किसी और प्रसंस्करण सामग्री के लिए होता है।
 - (4) पशुओं और सब्सि मावों की स्थिति क्या चार-दीवारी उपलब्ध है।
 - (5) चिड़ियों, कौओं, चीलों आदि की उपस्थिति, यदि कोई हो
 - (6) निकास व्यवस्था की स्थिति, क्या खुले हैं या स्थायी रूप से जमीन के अन्दर स्थापित हैं।
 - (7) अपरिष्ट सामग्री के निपटान की व्यवस्था
 - (8) क्या कामगारों के लिए धुलाई एवं परिवर्तन कक्ष उपलब्ध है। यदि हाँ, तो स्त्री और पुरुष कामगारों के लिए शौचालयों की संख्या और पानी साधन, तौलिए आदि की व्यवस्था।
 - (9) क्या बाहरी दीवारों को उचित तरीके से प्लास्टर किया गया है और विदरिका भीन्टों सीलन आदि से मुक्त है
 - (10) क्या प्रवेश निर्बंधित है तथा प्रवेश और निकास के रास्ते में मक्खी-रोधी और अणु-आप बंद होने वाली पद्धतियों के दोहरे दरवाजों की व्यवस्था की गई है?

(1)

- (12) क्या प्रवेश द्वारा पर पर धोने के लिए कौटानु-
रोधक/रोगाणुनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता
है?

4. आंतरिक निरीक्षण

- (1) क्या दीवारें और छतें उचित ढंग से पृथी हुई हैं?

- (2) क्या फर्श, दीवारें और छतें अभेद्य सामग्री से ढीक-
ढंग से प्लास्टर की गई हैं?

- (3) क्या दरारें, छिद्र, विवरिका और सीलन विद्य-
मान हैं।

- (4) क्या दीवारें कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई
तक धोने लायक परत या पेंट से ढकी हुई
हैं? क्या खिड़कियां पर्याप्त ऊंचाई पर हैं और
काम करते वाले प्लेटफार्म मजों से दूर हैं ताकि
धूल और दुर्घटनावश टूटे हुए कांच के शीशों से
होने वाले संदूषण से बचा जा सके।

- (5) क्या यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कामगार
कारखाना में प्रवेश करते समय और वहां से
जाते समय अपने हाथ धोने की प्रवृत्ति है,
पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

- (6) क्या परिसरों में "यूकता और धूम्रपान करना
मना है" को दर्शाने वाले पर्याप्त साईनबोर्ड मुख
रूप से लगाए गए हैं।

- (7) क्या काम करने वाले क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी
की व्यवस्था की गई है।

- (8) क्या पर्याप्त निष्कासन पंखे उपलब्ध कराए गए हैं।

- (9) क्या प्रसंस्करण क्षेत्र मकड़ियों और जालों से
मुक्त है।

5. पानी की आपूर्ति

स्त्रोत निम्न अथवा खुला कुआं/कुएँ अथवा ट्यूबवेल

- (1) क्या प्रेषजल की मात्रा के साथ पर्याप्त आपूर्ति
उपलब्ध है।

- (2) क्या उपस्कर के रोगाणुनाशन के लिए गर्म जल
(82 सेल्सियस) उपलब्ध है।

- (3) अधि-उच्च उर्जा भण्डारण टैंक की स्थिति

- (4) क्या जल का अलग से उपचार होता है, यदि हां
तो इसके लिए प्रयुक्त प्रणाली।

क्या इस जल का नियमित रूप से परीक्षण होता
है, यदि हां तो ऐसे परीक्षण कितने समय के अन्-
तराल से होते हैं।

कार्मिक

- (1) क्या आरोग्यता के लिए कर्मचारीवृद्ध की नियत-
कालिक जांच होती है, यदि हां तो कितने समय
के अन्तराल से होती है?

- (2) क्या नाखूनों और बालों की ठीक से सफाई और कटाई
होती है। नाखूनपोलिश का प्रयोग करना निषिद्ध है।

- (3) क्या साफ सूथरी बर्तन, टोपी, दस्ताने, गमबूट
उपलब्ध कराए जाते हैं।

- (4) क्या व्यक्तिगत स्वास्थ्यरक्षण के अनुपालन की
शिक्षा दी जाती है।

क्या यह बताया जाता है कि प्रसंस्करण क्षेत्र में
धूम्रपान/चबाना/शुक्रना निषिद्ध है।

7. उपस्कर

- (1) पशु कैसिंग के भंडारण के लिए कार्यक्षेत्र उप-
स्कर आदि जैसे चाकूओं, काटों, डिब्बों तथा
आधारों में व अन्य कटाई औजारों की स्थिति

- (2) क्या उपस्करों की रोज सफाई की जाती है और
उन्हें रोगाणुरहित किया जाता है।

- (3) क्या अक्षय/अवशिष्ट सामग्री के लिए प्रस्तुत
उपस्कर, बर्तन/ट्रालियों को ठीक से चिन्हित किया जाता
है ताकि उनका प्रयोग भक्ष्य पशु कैसिंग के लिए
नहीं किया जा सके।

8. परिवहन

- (1) यदि अंतर्देशीय/पशु कैसिंग स्त्रोतों से इतर जगहों
से लाए जाते हैं तो उन बूचड़खानों के नाम और
पते जहां से प्राप्त किए जाते हैं।

- (2) बूचड़खानों से परिवहन की दूरी और बूचड़-
खानों से अंतर्देशीय/पशु कैसिंग को लाने से जाने
का माध्यम।

अनुसूची 3

एपीडा के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के पते

- (1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रण विकास
प्राधिकरण, अन्सल चैम्बर्स 2, तृतीय तल, 6, भीका-
जी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

दूरभाष : 6192141/6192148/6192747

टेलीक्स : 031-82061 पेडा इन फेस 6195016

- (2) बम्बई कार्यालय

12 वां तल, यूनिट नं० 1,

एस.वी.आई.आर.डी.सी.,

बम्बई पॅरेड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

बम्बई-400005

दूरभाष 022-2183106/2189060

फैक्स 022-2189881

टैलेक्स 011-83737 ए पी डी इत

3. बंगलौर कार्यालय

12/1/1, पेंसेस कास रोड

बंगलौर 560020

टैलेक्स 030-334325

फैक्स 91-80-3364560

4. कलकत्ता कार्यालय

मयूख भवन, विधान नगर

कलकत्ता 700091

टैलेक्स 033-374244

टैलेक्स 21-2222 डब्ल्यू बीजी टी-इत

अनुसूची-4

नियतिकर्ता की घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारे पशु कोसिम प्रसंस्करण संयंत्र (क्वॉलिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 159 के अधीन अधिकृत सफाई और स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
2. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आस-पड़ोसी मान्य वधशालाओं वृद्धिखानों से प्राप्त की जाती हैं।
3. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास अपने परिसर (पत्त) में पशु कोसिम को प्रसंस्कृत करने/अडारण करने और एपीडा द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पूर्ण के लिए अपेक्षित किसी भी तरह के संरचनात्मक और/या अन्य परिवर्तन करने का पूर्ण प्राधिकार और अधिकार है।
4. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हम कम्पनी के स्वामित्व प्रबंधन और प्रसंस्करण संयंत्र के भवन में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में एपीडा को सूचित करेंगे।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अनुसूची-5

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

नियमित विकास प्राधिकरण

(व्याज्यम तंत्रालय, भारत सरकार)

पशु वेसिंस प्रसंस्करण संयंत्र के संबंध रजिस्ट्रेशन

का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित पशु वेसिंस प्रसंस्करण संयंत्र का एपीडा द्वारा गठित संयंत्र रजिस्ट्रेशन समिति द्वारा निरीक्षण किया गया है जोर विद्यमान सुविधाएं नियमित के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य और सफाई परिस्थितियों के लिए पर्याप्त मानी जाती है।

1. नियतिकर्ता का नाम
2. रजिस्ट्रेशन संख्या
3. प्रसंस्करण संयंत्र की आव-स्थिति
4. नियति के लिए प्राधिकृत पशु वेसिंस का प्रकार तारीख जब तक के लिए प्रमाणपत्र मान्य है स्वाम : नई दिल्ली एपीडा के लिए और तारीख उसकी ओर से अध्यक्ष

अन्वय नैम्बर्स-II, तृतीय तल, 6 शीवाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-66 दूरभाष 6192141, 6192148 फैक्स 6195018

अनुसूची-6

पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषक सेवा में, अधिकरण महोदय, मैं आपसे पशु वेसिंस का परिष्करण जिसका विवरण नीचे दिया गया है का नियमित करने के लिए आवश्यक पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कराने का अनुरोध करता हूँ:-

1. वेसिंस की पहचान (किस्म) वैकेजिंग की प्रकृति वैकेजों की संख्या सूत्र भार
 2. वेसिंस का उद्यम, अनुरोधित स्थापना (संबंध रजिस्ट्रेशन सं०) जहां से वेसिंस भेजी जाएगी (जदाई का स्थान) जहां वो भेजी जाएगी (देश और संतत्य स्थल) जिन साधनों से भेजी जाएगी परेषण कर्ता का नाम व पता गुरेविली का नाम व पता
- भवदीय (पदनाम)

IV. अनुप्रमाणन

प्रशोधनस्वास्थ्य पशु चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है उपर त्तराई गए केसिस :-

क. संक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत संदर्भों से आते हैं।

ख. साफ किए गए खुरचे गए और तोडियम क्लोराइड के साथ (-) 30 दिन तक नमक लगाए गए हैं या

-बिर्जित (-) :

या

-खुरचने के बाद सुखाए गए (-) हैं :-

ग. उपचार के बाद दोबारा सूक्ष्मण से बचाने के लिए सभी प्रकार की सावधानियों से गुजर चुके हैं।

को ----- पर
(तारीख) (स्थल)
(मोहर) -----
अधिकारी के हस्ताक्षर (X)

(मोहर)

(X) वैकल्पिक

(---) जेसे उपरुक्त समझे वैसे हटा दें।

(X) हस्ताक्षर और मोहर का रंग छपाई के रंग के अलग होना चाहिए।

अनुसूची 7

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

यूरोपीय समुदाय को भेजे जाने वाले पशु केसिस के लिए
संलग्न देश

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या :

निर्यातकर्ता देश :

उत्तरदायी मंत्रालय :

प्रमाणित करने वाला विभाग :

I. केसिस की पहचान : -----के केसिस
किस्म

वैज्ञानिक की प्रकृति :

पैकेजों की संख्या :

शुद्ध भार

II. केसिस का उद्भव

अनुमोदित स्थापन का/ :

स्वायत्ताओं का पता/पते और

पशु चिकित्सा निदेशन संख्या

III. केसिस का गंतव्य

स्थान जहां से केसिस

भेजी जाएगी : -----

लगाई का स्थल)

जहां को भेजी जाएगी

(देश और संलग्न स्थल)

परिवहन के जिन साधनों से

भेजी जाएगी।

तोल की संख्या (X)

परिषदकर्ता का नाम व पता

परिषदी का नाम व पता

[फाइल सं० 6/1/96-ईआई एंड ईपी]

प्रभ वास, निदेशक

New Delhi, the 3rd November, 1997

S.O. 2948.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce Number S.O. 2284 dated the 24th August, 1994 relating to Animal Casings (Quality Control and Inspection) Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Animal Casings (Quality Control and Inspection) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

PART I

APPLICABLE FOR EXPORT TO EUROPEAN UNION (EU) AND OTHER COUNTRIES WHICH STIPULATE THAT ANIMAL CASINGS SHALL COMPLY WITH THE FOLLOWING REQUIREMENTS

2. Definition.—In this part unless the context otherwise requires, the following definitions shall be applicable :

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under Section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(c) "Animal" means a livestock belonging to any of the following species namely :

I. Cattle

II. Buffalo

III. Sheep

IV. Goat ; and

V. Pigs

(d) "Animal Casing" means processed intestines of a healthy animal slaughtered in an authorised slaughter house which may be referred as "Casings" also.

(e) "APEDA" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority established under Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

(f) "Council" means the Export Inspection Council established under Section 3 of the Act.

(g) "Competent Authority" means Directorate of Marketing and Inspection (DMI), Department of Rural Development, Ministry of Rural Areas and Employment, Government of India recognised under Section 7 of the Act.

(h) "Intestines" means small and large intestines or gullet or oesophagus or weasand or urinary bladder of an animal.

- (j) "Processed Intestines" means the cleaned, scrapped and salted with sodium chloride for 30 days or bleached or dried after scrapping of the intestines of an animal.
- (k) "Slaughter" means killing of an animal for food employing a human method not inconsistent with the provisions of the prevention of cruelty to Animal Act, 1960 (54 of 1960) in an authorised slaughter house or abattoir where the animal is subjected to thorough ante-mortem and post-mortem examinations.
- (l) "Slaughter House or Abattoir" means any premises which is authorised by the local authority for slaughter of animals intended for human consumption.

3. Basis of Compliance.—Inspection of Animal Casings intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in plants approved and registered with APEDA and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government, under Section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Competent Authority as per instructions issued by the council from time to time.

4. Animal Casings for export shall be subject to the following conditions :

4.1 The casings must comply with the requirements of Collection and transportation as per Annexure-I.

4.2 They must comply with the requirements of processing plant as per Annexure-II.

5. They must comply with the procedure for Registration of Animal Casings Processing Plant and for Certification of Animal Casings as per Annexures III and IV respectively.

6. Issue of Animal Health Certificate.—On receipt of the application, the agency, on satisfying itself on the basis of inspection carried out as referred above that the consignment of Animal Casings has been processed and packed according to the specification applicable to it, shall issue Animal Health Certificate in the proforma laid down in the Schedule VII. It shall be lawful for the agency to supervise, oversee and secure compliance of these rules.

Where the agency is not satisfied, it shall refuse to issue the Animal Health Certificate. Such refusal alongwith the reasons thereof shall be communicated in writing to the exporter immediately after inspection of the consignment.

The Animal Health Certificate shall be valid for a maximum period of 90 days in the case of dried animal casings or 45 days in the case of salted animal casings or as prescribed by the importer, whichever is earlier.

If the consignment is not shipped within the period of validity of the certificate, the exporter shall be permitted to present the Certificate for revalidation. In such a case, the validity shall be extended for a further period of 45 days in the case of dried animal casings or 15 days in the case of salted animal casings or upto the last shipment date prescribed by the importer.

A duplicate certificate may be issued on payment of Rs. 500 and furnishing a declaration that the certificate was lost or mutilated and if the original certificate is found it will be returned. The validity of the duplicate certificate will be same as that of the original.

7. Inspection Fee.—The inspection fees would be Rs. 200 per ten tanks subject to a maximum of Rs. 500 per consignment for local inspection and Rs. 1000 for out station inspection and shall be collected by the Competent Authority from the processor and/or exporter.

NOTE.—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee then if such a part is fifty paise or more, it shall rounded off to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

PART-II

APPLICABLE FOR EXPORT TO ALL COUNTRIES IN RESPECT OF GRADING AND MARKING OF ANIMAL CASINGS

2. DEFINITION.—In this part unless the context otherwise requires, the following definitions shall be applicable:

- a. "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).
- b. "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India by any other officer authorised on his behalf for inspection.
- c. "Animal" means a livestock belonging to any of the following species namely :
 - I. Cattle
 - II. Buffalo
 - III. Sheep
 - IV. Goat, and
 - V. Pigs.
- d. "Animal Casing" means processed intestines of a healthy animal slaughtered in an authorised slaughter house which may be referred as "Casings" also.
- e. "Council" means the Export Inspection Council established under Section 3 of the Act.
- f. "Intestines" means small and large intestines or gullet or oesophagus or wasand or urinary bladder of an animal.
- g. "Processed Intestines" means the cleaned, scrapped and salted with sodium chloride for 30 days or bleached or dried after scrapping of the intestines of an animal.
- h. "Slaughter" means killing of an animal for food employing a human method not inconsistent with the provisions of the prevention of cruelty to Animal Act, 1960 (54 of 1960) in an authorised slaughter house or abattoir where the animal is subjected to thorough ante-mortem and post-mortem examinations.
- i. "Slaughter House or Abattoir" means any premises which is authorised by the local authority for slaughter of animals intended for human consumption.

3. BASIS OF INSPECTION.—Inspection of Animal Casings intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in plants approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Govt. under section 6 of the Act by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the council from time to time.

4. PROCEDURE OF INSPECTION.—I. Any exporter intending to export Animal Casings shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment, intended to be exported.

II. An application under sub-rule (1) shall be submitted :

- a. Not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and
- b. Not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency

III On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Animal Casings as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

IV. If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of animal casings to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, issue a certificate declaring the consignment as exportable.

V. When the Agency is not so satisfied it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

VI. Subsequent to certification, the Agency shall have the right to re-assess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

VII. In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—I. As exporter intending to pack animal casings for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

II. The following information shall be stencilled/printed on the packages :

- a. Name and address of the exporter;
- b. Name of the item and variety;
- c. Grade;
- d. Lot number and date of packing;
- e. Gross weight and net weight;
- f. Product of India;
- g. Shipping Marks.

6. Place of inspection.—Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—The inspection fee to be paid by the processor exporter under consignment wise inspection to the agency will be at the rate of 0.4% of f.o.b. value of the consignment.

NOTE.—The amount of inspection fee for such consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. APPEAL.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the Certificate of inspection either as prescribed in Part I or Part II of these rules may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven person appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two-thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days from the date of its receipt.

ANNEXURE-I

1. COLLECTION AND TRANSPORTATION :

- 1.1. The intestines must be derived from healthy animals slaughtered in a slaughter house.
- 1.2 The transportation of intestines from the slaughter house to 'casings' processing plants has to take place under sufficient hygienic conditions which prevents infection and contamination of the intestines.
- 1.3. Cleaning of the intestines must be carried out immediately after slaughter of the animal.
- 1.4 The delay between collection, transportation and processing of intestines should be minimised to produce better quality animal casings.
- 1.5 Fermentation of intestines should be avoided as far as possible.

ANNEXURE-II

1. REQUIREMENTS OF ANIMAL CASINGS' PROCESSING PLANT :

1.1 PROCESSING ROOMS :

The rooms for processing of Animal casings must comprise of :

- 1.1.1 The premises of the casings processing plants should present as aesthetically appealing and should not emanate off odours.
- 1.1.2 The raw material handling and processing rooms should be separate from finished material handling and storage rooms.
- 1.1.3 The casings processing room should have adequate space for convenient and easy conduct of operations.
- 1.1.4 The flooring shall be impervious, non-slippery and washed daily with disinfectant. The floor should slope sufficiently for liquids to be drained off to trapped outlets protected by a grill.
- 1.1.5 The walls shall be tiled with white glazed ceramic tiles or light coloured coatings or hygienic panels upto a height of 1.5 meters to enable washing with hot water and chemical disinfectants.
- 1.1.6 Ceiling with light colour and adequate coating which does not rot.
- 1.1.7 Adequate ventilation.
- 1.1.8 Adequate natural or artificial lighting which does not distort colours.
- 1.1.9 The premises shall be maintained in sanitary condition and the drainage and plumbing system shall be efficient and well maintained. The water supply shall be ample and clean.
- 1.1.10 The rooms where the casings are processed will be free from dust etc. Facilities shall be provided in the premises for cleaning utensils and for cleaning hands of persons handling casings.
- 1.1.11 The waste/scraps should be kept in dustbin with an airtight lid which can be easily cleaned and disinfected.
- 1.1.12 It shall exclude entry of dogs, cats, rodents, insects, flies, crows, bats and vultures. The use of poisons or poisonous baits is forbidden in places where processing is carried out or any packed product is stored; and
- 1.1.13 At the end of each day, a thorough cleaning programme should be followed.

2. EQUIPMENT .

- 2.1 For cleaning of tools, adequate water facility in the unit should be provided.
- 2.2 Proper equipment for protection against pests such as insects and rodents.
- 2.3 Instruments and working equipment such as sorting tables, cases, containers, conveyors or belts and knives are of such a material which can be easily cleaned/washed.
- 2.4 The equipment for storing the containers must be in good hygienic condition and have to secure that there will not be any contact of the merchandise even in containers with the floor or the walls.
- 2.5 Equipment for hygienic handling of the casings during loading and unloading may be used.
- 2.6 Wash basin with adequate supply of running water should be provided, and
- 2.7 Equipment and instruments used in processing/manufacturing of casings, must be carefully cleaned and washed several times during each working day if they have been contaminated and at the end of the day's work and before being used again. However, continuous production machines should only be cleaned when the work has been finished or in cases where contamination is suspected.

3. STAFF :

- 3.1 The highest possible standard of cleanliness shall be required of staff. All unsanitary practices should be avoided.
- 3.2 All persons entering the rooms in which work on animal casings is undertaken, must wear clean, light coloured and easy to wash working clothes and headcaps fully covering the hair on heads. Staff engaged in processing of animal casings shall wash their hands several times during each working day, i.e. each time they resume work.
- 3.3 Eating, drinking, smoking shall be forbidden in work rooms and store rooms.
- 3.4 Persons who are ill or whose hands are cut and exposed, likely to contaminate casings, shall be prohibited from working or handling, and
- 3.5 A medical fitness certificate shall be produced for every person working in processing of animal casings at the time of joining. It shall be renewed every year. It shall be produced to the inspecting officer as and when demanded.

4. GENERAL :

- 4.1 Rooms, instruments and working equipment must be used only for the preparation of the casings and if required to be used for any other purpose there shall be a gap of 24 hours after thorough cleaning and before animal casings are processed again.
- 4.2 For all purposes other than cleaning of floor, potable water must be used.
- 4.3 The use of detergents, disinfectants and pesticides must not affect the wholesomeness of the casings.
- 4.4 First-aid kit should be available for the benefit of all the workers.
- 4.5 Wrapping and packaging must take place under satisfactory hygienic conditions.
- 4.6 Casings should be stored under conditions which do not effect the quality of the casings.

4.6.1 In the case of sheep casings, these must be adequately salted and stored under proper conditions. Where longer period of storage (more than 10 days) is involved, these must be stored in refrigerated conditions.

4.6.2 In the case of cattle casings, after cleaning and processing the casings should be dried either in the sun or by heat process under hygienic conditions. Dried cattle casings should be stored under clean, dry and damp proof conditions. Preservatives like black pepper may be used for storage; and

4.7 Practices that results in contamination of casings should be avoided.

ANNEXURE-III

1 Procedure for registration of Animal Casings' processing Plants :

1.1 The exporters, desirous for export of animal casings to European Communities and other countries where Plant Registration and Certification is warranted, should get the plant registered with APEDA as per the procedures laid down hereunder.

2. Application for Registration :

2.1 Application may be made to Chairman, APEDA in the prescribed proforma as laid down in Schedule I. A copy of the procedure to be followed is obtainable from the office(s) of APEDA.

2.2 Application should be accompanied by Animal Casings Plant Data as laid down in Schedule II.

2.3 The application duly completed may be submitted either at the headquarters of APEDA at New Delhi or at any of its regional offices as per the addresses given in Schedule-III, who will forward the same to the headquarters.

2.4 The application should be accompanied by a declaration in the proforma laid down in Schedule-IV that the manufacturer/exporter has complied with the sanitary and other requirements of animal casings' plants.

2.5 The application should be accompanied by a demand draft of Rs 500/- in favour of APEDA towards document processing and inspection charges.

2.6 The following additional documents should be submitted alongwith the application :

- (a) Lay-out of the premises.
- (b) List of machinery and equipment in the premises.
- (c) Names and addresses of owners/partners/directors/ trustees etc. alongwith documentary evidence.
- (d) Permission from the local municipal body to run the processing unit for animal casings.
- (e) Copy of the lease agreement in case the processing unit is being run on lease basis.
- (f) Confidential reports issued by financial institutions/ banks mentioning the financial status of the manufacturer/exporter
- (g) Certificate from a Govt laboratory regarding potability of water used for processing of animal casings.
- (h) Medical fitness certificate for personnel engaged in the processing operation.

2.7 The application should be signed by the owner/partner/ director/managing trustee duly authorised for the purpose and a documentary evidence/power of attorney/copy of the resolution, as the case may be, must accompany the application.

3. PLANT REGISTRATION PROCEDURE . .

3.1 Preliminary scrutiny of the application will be carried out by APEDA and in case the application is in order, APEDA will forward a copy of the application to each member of the Plant Inspection Committee.

3.2 Physical inspection of the processing plant will be carried out for registration by a Plant Inspection Committee to be constituted by Chairman, APEDA, comprising of the following :

- 3.2.1 One representative of Deptt. of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture, Govt. of India.
- 3.2.2 One representative of Deptt. of Animal Husbandry of the State Govt.
- 3.2.3 One representative of Export Inspection Council/ Agency.
- 3.2.4 One representative of Directorate of Marketing and Inspection.
- 3.2.5 One representative of dried animal casings' exporters.
- 3.2.6 One representative of Sheep Casings Exporters' Association.
- 3.2.7 One representative of APEDA who shall be the convenor of the Committee.

3.3 Three members of the Committee shall form the quorum for inspection. In case, for any reason, the quorum is not complete, the inspection shall be carried out on a subsequent date which will be informed to the processor and/or exporter.

3.4 APEDA shall normally inform the processor and/or exporter one week in advance of the date of inspection for verification.

4 ISSUE OF PLANT REGISTRATION CERTIFICATE :

4.1 In case the Committee is satisfied that the animal casings plant conforms to the standards and recommends issue of a certificate, then the same shall be issued by APEDA in the proforma laid down under Schedule-V. The certificate will bear a Registration Number allotted by APEDA.

4.2 The certificate shall be prominently displayed in the processing unit.

4.3 Any change in the lay out, design or capacity of processing unit should be got approved by APEDA within 60 days of such a change.

4.4 The Plant Registration Certificate will be in addition to their registration with APEDA as an exporter of a scheduled product [as per Section 42(i) of the APEDA, Act]. The date of validity of the Plant Registration Certificate shall be specified on the certificate. In case no specific date is mentioned, the certificate shall be deemed to be valid upto 31st Decembr of the year in which it is issued.

4.5 The animal casings plant shall be reinspected by the Committee for the purpose of renewal of the Certificate. The reinspection shall be carried out before expiry of validity of the certificate.

4.6 In case the processing of animal casings is carried out in a leased plant, the certificate shall be issued to the manufacturer/exporter who may be the lessee and not the owner of the plant. The validity of the certificate will be limited to the date of expiry of the lease agreement.

4.7 The manufacturer/exporter shall also comply with such other instructions as may, from time to time, be issued by APEDA.

5. REFUSAL/CANCELLATION OF CERTIFICATE .

5.1 The certificate issued under clause 4, may be refused or cancelled or suspended provided that :

The animal casings plant does not conform to the prescribed standards as laid down under these rules;

There are any adverse reports from the financial institutions/banks against any of the owner/directors/ partners/trustees or from the importers or importing countries ;

There is insufficient potable water at the premises;

Unsatisfactory arrangement for disposal of effluents ;

No valid licence from the local body or if the committee feels that the plant is situated at the place where it will be injurious to the inhabitants.

5.2 Refusal, cancellation or suspension of the certificate as the case may be, shall be communicated in writing specifying the reasons, to the exporter.

5.3 An agrieved exporter may make another application to Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for registration of his plant after satisfying that the deficiencies pointed out by the Committee, have been rectified. The reinspection of the plant shall be carried out in terms of para 5 above.

ANNEXURE-IV

1. PROCEDURE FOR CERTIFICATION OF ANIMAL CASINGS :

The inspection of animal casings for issue of Animal Health Certificate shall be done to verify the species of animal, nature of packaging, number of packages, net weight, cleanliness of casings, etc.

2. PLACE OF INSPECTION :

The inspection of animal casings for the purpose of these rules shall be carried out at the premises registered with the APEDA.

3. APPLICATION FOR CERTIFICATION :

An Exporter intending to export animal casings shall submit an application for issue of the Animal Health Certificate, giving particulars of the consignment proposed to be exported to the nearest office of the agency, in the prescribed proforma as laid down in the Schedule-VI.

4. TIME LIMIT FOR INSPECTION :

4.1 For inspection of animal casings for local and out-station inspection, a two and three clear working days advance information, respectively shall be sent to the agency office.

4.2 Although every effort will be made to take up inspection as soon as possible after the receipt of intimation, no guarantee be given except that request will be entertained strictly in the chronological order of receipt of applications. In special cases, however, the Inspecting Officer may attend to inspection even with shorter notice, provided he is not otherwise occupied with urgent work.

[F. No. 6/1/96-EI&EP]

PRABH DAS, Director

SCHEDULE J

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF ANIMAL CASINGS' PROCESSING PLANT

1. Name and address of the applicant :-

- 2. Registration-cum-membership No. of APEDA.
- 3. Address of the processing plant.
- 4. Factory licence number and date, if any.
- 5. Name and address of the owner of the building (processing plant) if he/they are different from the applicant.
- 6. Date of expiry of lease agreement, if applicable.
- 7. Name and address of the financial institutions/banks who have financed the plant.
- 8. Details of Bank draft/cheque.

APPLICANT OR
AUTHORISED SIGNATORY

PLACE :
DATE :

VERIFICATION

I.....do hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the above information is complete and correct and that I agree to abide by the conditions and stannarns laid down in this behalf.

APPLICANT OR
AUTHORISED SIGNATORY

DATE :
PLACE :

SCHEDULE-II
ANIMAL CASINGS PLANT DATA

- 1. Name of the Processing Plant
- 2. Address
- 3. EXTERNAL INSPECTION

I. Surroundings (clean/unclean).

II. Whether situated near obnoxious industry like fish canning, tanneries, chemical plants, fertilizer plants releasing Hydrogen Sulphide etc.

III. Whether the plant is used for processing material other than animal casings.

IV. Condition of approach and service roads.

V. Whether boundary wall provided.

VI. Presence of birds, crows, vultures, etc, if any.

VII. Condition of drainage system, whether open or permanently installed underground.

VIII. Arrangement for disposal of waste material.

IX. Whether wash and change room for workers provided. if provided, number of toilets for each sex of workers and provision for water, soap, towels, etc.

X. Whether the external walls are properly plastered and free from crevices, holes, dampness, etc.

XI. Whether the entry is restricted and the entry (ies) and exit(s) provided with double doors having flyproofing and self closing devices.

XII. Whether the windows are flyproof.

XIII. Whether antiseptic/disinfectant foot wash is provided at the entrance.

4. INTERNAL INSPECTION

I. Whether the walls and ceilings are properly white washed.

II. Whether the floors, walls and ceilings are properly plastered with impervious material,

III. Whether Fissures, holes crevices and dampness present.

IV. Whether the walls are covered with washable coating or paint upto a height of atleast 2 meters. Whether the windows are at a sufficient height and away from working platforms/tables to avoid contamination by dust, accidentally broken glass panes.

V. Whether sufficient care is being exercised to ensure that each worker before entering and leaving the factory, washes his hands properly.

VI. Whether sufficient signboards indicating "do not spit and smoke" in the premises are displayed prominently.

VII. Whether adequate lighting arrangements provided in the working area.

VIII. Whether adequate exhaust fans provided.

IX. Whether the processing area is free from cow webs and spiders.

5. WATER SUPPLY :
SOURCE : MUNICIPAL OR OPEN WELL(S) OR TUBE WELL(S)

I. Whether adequate potable water supply with pressure is provided.

II. Whether hot water (82 degree C) is available for sterilization of equipment.

III. Condition of over head storage tank.

IV. Is water treated separately, if so, system followed.

V. Whether water is tested regularly for it's potability if so the frequency of testing.

6. PERSONNEL :

I. Whether the staff is periodically examined for medical fitness if so, what is the periodicity.

II. Whether the nails and hair are properly trimmed. Use of nail polish to be prohibited.

III. Whether clean uniform cap, hand gloves and gum-boots provided.

IV. Whether educated to observe personal hygiene.

V. Whether informed that smoking, chewing, spitting in the processing area is prohibited.

7. EQUIPMENT :

I. Condition of working equipment, etc. e.g. knives, hooks, cases, containers for storage of animal casings, tables and other cutting tools.

II. Whether the equipment are cleaned and disinfected daily.

III. Whether the equipment, utensils, trolleys used for inedible/waste material are properly marked so that they are not used for edible animal casings.

8. TRANSPORTATION :

I. In case intestines/animal casings are sourced from outside sources, the names and addresses of the abattoirs from where these are sourced.

II. Transportation distance from abattoirs and mode of transportation of intestines/ animal casings from abattoirs.

IV. I/We also declare that we will inform APEDA about any change in the ownership/management of the company and also the building of the processing plant.

SIGNATURE OF THE APPLICANT/
AUTHORISED SIGNATORY

Place :
Date :

SCHEDULE III

ADDRESSES OF APEDA HEADQUARTER AND REGIONAL OFFICES

1. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, Ansal Chamber-II, 3rd Floor, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
Tel : 6192141/6192148/6192747
Tlx : 031-82061 FEDA IN
Fax : 6195016
2. Bombay Office
12th Floor, Unit No. 1, MVIRDC Cuffe Parade, World Trade Centre, Bombay-400 005.
Tel : 022-2183106/2189060
Fax : 022-2189631
Tlx : 011-83737 APED-IN
3. Bangalore Office
12/1/1, Palace Cross Road, Bangalore-560 020.
Tel : 080-3343425
Fax : 91-80-3364560
4. Calcutta Office
Mayukhi Bhavan, Bidhan Nagar, Calcutta-700 091.
Tel : 033-374244
Tlx : 21-2222 WBGT IN

SCHEDULE-V

THE AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

(MINISTRY OF COMMERCE, GOVT. OF INDIA)
CERTIFICATE OF PLANT REGISTRATION FOR ANIMAL CASINGS PROCESSING PLANT

This is to certify that the animal casings processing plant described below has been inspected by a Plant Registration Committee constituted by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority and existing facilities are considered adequate to meet the hygienic and sanitary conditions required for export :

1. Name of exporter
2. Registration No.
3. Location of the processing plant
4. Type of Animal Casings authorised for export. Certificate valid upto

Place : New Delhi For and on behalf of APEDA
Date : CHAIRMAN

ANSAL CHAMBERS-II, 3rd FLOOR, 6 BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-66 TEL : 6192141 , 6192148 FAX : 6195016

SCHEDULE-IV

DECLARATION OF EXPORTER

- I. I/we,.....hereby declare that my/our animal casings, processing plant comply with all the sanitary and hygienic requirements laid down under Animal Casings (Quality Control & Inspection) Rules, 1996.
- II. I/We also declare that intestines are obtained from approved/slaughter houses/abattoirs.
- III. I/We declare that I/we possess the full authority and right to process/store animal casings, in the premises (Address and to effect any structural and/or other modifications required to conform to instructions issued by the APEDA from time to time.

SCHEDULE-VI

APPLICATION FOR ISSUE OF ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

From
To
The Agency
Sir,

I request you to issue Animal Health Certificate for exporting the consignment of Animal Casings particulars of which are furnished below :

I. Identification of casings :

Casings of
 (Species)
 Nature of packaging
 Number of packages
 Net weight

II. Origin of casings

Approved establishment
 (Plant Registration) No.

III. Destination of casings

The casings will be sent from
 (place of loading)
 to
 (country and
 place of
 destination)

by the following means

Name and address of consignor
 Name and address of consignee

Yours faithfully,
 Name

SCHEDULE VII

**ANIMAL HEALTH CERTIFICATE
 FOR ANIMAL CASINGS INTENDED FOR
 DISPATCH TO THE EUROPEAN COMMUNITY**

Country of destination
 Reference number of the health certificate
 Exporting country
 Responsible Ministry
 Certifying Department

I. IDENTIFICATION OF CASINGS

Casings of
 (species)
 Nature of packaging
 Number of Packages
 Net Weight

II. ORIGIN OF CASINGS

Address(es) and veterinary control number(s) of the approved establishment(s)

III. DESTINATION OF CASINGS

The casings will be sent from
 (Place of loading)
 to
 (Country and place of destination)

By the following means of transport.

Number of the Seal (*)
 Name and address of consignor.
 Name and address of consignee.

IV. ATTESTATION

The undersigned official veterinarian certifies that the casings described above :

- (a) Come from plants approved by the competent authority.
- (b) Have been cleaned, scraped and
 — Salted (—) with Sodium Chloride for 30 days;
 or
 — Bleached (—);
 or
 — Dried after scraping (—);
- (c) Have undergone all precautions to avoid recontamination after treatment.

Done at on
 (Place) (Date)

(Stamp)
 (Signature of the Official (X))

(Stamp)

(*) Optional

(—) Delete as appropriate

(X) The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.

[F.No. 6/1/96—BI & P]
 PRABH DAS Directo